

न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : हिमांशु गुप्ता, आई0ए0एस0

रसद अपील सं. 42/2018

अपीलार्थी-

रामजीवन पुत्र सुखराम जाति
बिश्नोई निवासी बूल कोजा जरिये
व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी
समिति कोजा

बनाम

उत्तरदाता-

राजस्थान सरकार जरिये
जिला रसद अधिकारी, बाड़मेर

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 विरुद्ध निर्णय दिनांक 02.07.2018 जो सरकार बनाम व्यवस्थापक, ग्राम सेवा सहकारी समिति कोजा के प्रकरण सं. 14/2018 में जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :-

1. श्री अमृतलाल जैन, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. सरकारी पैरोकार, उत्तरदाता की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 27/08/2019



1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 की धारा 22 के अन्तर्गत जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रकरण सं. 14/2018 सरकार बनाम व्यवस्थापक, ग्राम सेवा सहकारी समिति कोजा में पारित निर्णय दिनांक 02.07.2018 के विरुद्ध पेश की गई है।
2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि प्रवर्तन निरीक्षक सिणधरी श्री सहीराम द्वारा अपीलार्थी ग्राम सेवा सहकारी समिति कोजा द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान के संबंध में गंभीर अनियमितताएँ पाई गईं। जिस पर

Handwritten signature
जिला कलक्टर
बाड़मेर

प्रवर्तन निरीक्षक सिणधरी द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस पर उत्तरदाता जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा अपीलार्थी का उचित मूल्य दुकानदार का अनुज्ञा पत्र आदेश दिनांक 22.01.2018 के द्वारा निलम्बित करते हुए कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। अपीलार्थी को उपस्थित होकर कारण प्रकट करने एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए अधिनस्थ अधिकारी जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.07.2018 के द्वारा अपीलार्थी का अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 11.09.2018 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को सद्भाविक मानते हुए क्षमा करने एवं अपील अन्दर मयाद सम्मिलित करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र भी प्रस्तुत किये हैं। अपीलार्थी की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर कर उत्तरदाता को जरिये नोटिस तलब किया गया।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधिनस्थ जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि एवं तथ्यात्मक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण होने से खारिज योग्य है। अपीलार्थी द्वारा रेस्पोंडेंट के नोटिस का समुचित जवाब लिखित रूप से दिया गया था किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार से गौर किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया है। अपीलाधीन विभागीय प्रकरण में की गई जांच नियमानुसार नहीं है तथा इस जांच में निरीक्षणकर्ता के प्रतिवेदन का यथावर्णित सही मानकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। इस जांच में निरीक्षणकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं बयानों पर अपीलार्थी को प्रतिरक्षण करने का कोई अवसर प्रदान भी नहीं किया गया है। इस प्रकार अपीलाधीन





जिला कलक्टर
बाड़मेर

आदेश एकपक्षीय एवं आर्बिट्रेरी होने के साथ ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के प्रतिकूल होने से अपास्त योग्य हैं। अपीलकर्ता द्वारा उचित मूल्य दुकान की जो सामग्री प्राप्त की थी उसका वितरण नियमानुसार किया जाता रहा तथा इस बाबत किसी भी राशनकार्ड धारक द्वारा किसी प्रकार की कोई अनियमितता की शिकायत नहीं की गई है। अतः अपीलकर्ता की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जावे।

4. उत्तरदाता की ओर से विभागीय पैरोकार ने प्रकट किया कि अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण करने पर अनियमितताएं पाई गई तथा विभागीय निर्देशों एवं प्राधिकार पत्र की शर्तों का उल्लंघन किये जाने से उसका प्राधिकार पत्र निलम्बित कर, कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। एवं पीलार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब आधारहीन एवं संतुष्टीपरक नहीं पाये जाने पर प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के मद्देनजर अधिनस्थ अधिकारी द्वारा अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान के निरीक्षण में पाई गई गम्भीर अनियमितताएँ राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 के खण्ड 6 एवं इसके तहत जारी प्राधिकार पत्र की भा.सं. 8,11,14 एवं 18 का स्पष्ट उल्लंघन पाये जाने पर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त कर जमा प्रतिभूति राशि जब्त सरकार करने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है उसमें किसी प्रकार कोई विधि या तथ्य की भूल नहीं की गई है तथा इस आदेश के विरुद्ध यह प्रस्तुत अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है।



5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलार्थी के अधिवक्ता एवं पैरोकार सरकार के अभिकथनों मनन किया जिससे यह पाया जाता है कि अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान का प्रवर्तन निरीक्षण सिणधरी द्वारा निरीक्षण करने पर पाई गई अनियमितताओं के आधार पर प्राधिकार पत्र निलम्बित कर उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अपीलार्थी द्वारा


जिला कलक्टर
बाडमेर

उल्लेखित अनियमितताओं का कोई ठोस एवं संतुष्टिपरक जवाब नहीं दिया गया तथा अपीलाधीन आदेश के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत करने की निर्धारित मयाद अवधि समाप्त होने के बाद दिनांक 11.09.2018 को यह कालातीत अपील प्रस्तुत की गई है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के सम्बन्ध में कोई ठोस कारण प्रकट नहीं किया गया है बल्कि अत्यन्त ही साधारण रूप में उल्लेख किया है कि अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय पारित किया गया है जिसकी उसे कार्यालय से जानकारी होने पर प्रतिलिपि प्राप्त करने पर अपीलाधीन आदेश के बारे में ज्ञात हुआ है। अपीलांत को उसका अनुज्ञा पत्र निलम्बित कर कारण बताओं नोटिस जारी होने पर जवाब प्रस्तुत किया गया है, इसके पश्चात निर्धारित सुनवाई तिथी को स्वयं अनुपस्थित रहा है तथा पैरवी नहीं की गई तथा अपीलाधीन आदेश जारी होने के दो माह पश्चात यह अपील प्रस्तुत की गई है। जहां तक प्रकरण में अपीलार्थी पर अध्यारोपित आरोप का प्रश्न है तो विभागीय निर्देशानुसार अपीलार्थी को उचित मूल्य दुकान को सुचारु रूप से संचालित किया जाना चाहिए था। अपीलार्थी के विरुद्ध अनियमितताओं का जो आरोप लगाया गया है उसका संतुष्टिपरक जवाब प्रस्तुत नहीं किया और न ही इस अपील में कोई तथ्य प्रकट किया गया है। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में एकपक्षीय आदेश अपीलार्थी की अनुपस्थिति में पारित किया गया है किन्तु प्रकट तथ्यों के अनुसार अपीलार्थी को अपीलाधीन कार्यवाही की यथा समय जानकारी थी। ऐसे में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में उल्लेखित परिस्थितियों के आधार पर इस अपील के प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का कोई पर्याप्त आधार नहीं होने से यह अपील अन्दर मयाद शुमार किया जाना विधि अनुकूल उचित नहीं है। इसके साथ ही मेरीट पर भी मामला प्रबल नहीं होने से खारिज योग्य है।



6. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रथम मयाद बाहर होने के साथ



जिला कलेक्टर
बाडमेर

रसद अपील/42/2018/ग्राम सेवा सहकारी समिति कोजा बनाम जिला रसद अधिकारी बाड़मेर



ही मेरीट पर भी प्रबल नहीं होकर सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा रसद प्रकरण सं. 14/2018 में पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.07.2018 यथावत बहाल रखा जाता है।

आदेश आज दिनांक 27.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(हिमांशु गुप्ता)

जिला कलेक्टर, बाड़मेर
जिला कलेक्टर
बाड़मेर